

  
समयमत्र जागरे

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 385]  
No. 385]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 31, 2016/ज्येष्ठ 10, 1938  
NEW DELHI, TUESDAY, MAY 31, 2016/ JYAISTHA 10, 1938

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 2016

सा.का.नि. 567(अ).--राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मूल नियम, 1922 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मूल (संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मूल नियम, 1922 के नियम 56 में, खंड (खख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

(खख) केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण, गैर-शिक्षण और जन स्वास्थ्य उप-काडरों में सम्मिलित साधारण ज्यूटी चिकित्सा अधिकारियों और विशेषज्ञों के संबंध में अधिवर्षिता की आयु पैसठ वर्ष होगी।

[फा. सं. 25012/3/2013-स्था.(ए-4)]

अर्चना वर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में 1 जनवरी, 1922 से प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम बार अधिसूचना सं. सा.का.नि. 27(अ), तारीख 17 जनवरी, 2014 द्वारा संशोधन किया गया था।

**MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS****(Department of Personnel and Training)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st May, 2016

**G.S.R. 567(E).**— In exercise of the powers conferred by the proviso to the article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Fundamental Rules, 1922, namely :—

1. (1) These rules may be called the Fundamental (Amendment) Rules, 2016.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Fundamental Rules, 1922, in the rule 56, for clause (bb), the following shall be substituted, namely:—

(bb) The age of superannuation in respect of General Duty Medical Officers and Specialists included in Teaching, Non-Teaching and Public Health Sub-cadres of Central Health Service shall be sixty-five years.

[F. No. 25012/3/2013-Estt. (A-IV)]

ARCHANA VARMA, Jt. Secy.

**Note:** The Fundamental rules were published in the Gazette of India on 1st January, 1922 and were last amended vide notification under G.S.R. 27(E), dated the 17th January, 2014